1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>:– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2157 रकबा 0.8200 है0, ख.न. 2159 रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके वाके ग्राम बस्सी प.ह. बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अपनी–अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी में दोनों भूमियों की सीमा को लेकर विवाद है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलन</u>:– आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षति</u>:– चूंकि विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है। मूल दावा जो विभाजन का निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 2157 रकबा 0.8200 है0, ख.न. 2159 रकबा 0.6800 हैक्टेयर की सीमा पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना कोई दखलंदाजी करे ना ही दीगर से करावें एवं मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.) सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज0)